

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 60/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

होटल महादेव, पुराना कोटा रोड, केकडी, जिला-अजमेर जरिये श्री छीतर माली पुत्र श्री गोपाल जी, निवासी-पुरानी केकडी, केकडी, जिला-अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर - पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 24.07.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.02.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी एवं तहसीलदार केकडी द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा भोजन बनाकर ग्राहकों को कीमतन विक्रय करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यावसायिक स्थल से एक घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	526627	BPC	15.7	17.7	2.0	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः एक घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर कृष्णा गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री लादूराम वर्मा पुत्र श्री ओंकारमल वर्मा, निवासी भाग्योदय नगर, अजमेर रोड, केकडी को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 23.02.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस



जिला कलक्टर
अजमेर

सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि कानून की जानकारी के अभाव में गलती हुई है। आइन्दा अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक सिलेण्डर का ही उपयोग किया जायेगा। अतः अज्ञानतावश हुई त्रुटि को क्षमा करते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यों को स्वीकार किया गया है। वक्त जांच भी उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।



An
(आरती डोंगरा)
जिला कलेक्टर
अजमेर